


138



पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कॉरपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक 1288 / मा०सं०एवंप्र०अनु० / पिटकुल / ईओ-3

दिनांक 2 / 09.2010

विषय- चल/अचल सम्पत्ति का विवरण के सम्बन्ध में।

महाप्रबन्धक (परि०एवंअनु०) पिटकुल,
गढवाल एवं कुमाऊं जोन/
महाप्रबन्धक (परियोजना) पिटकुल,
हैड सिविल/उपमहाप्रबन्धक (जानपद) पिटकुल,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-985/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/ईओ-3, दिनांक 22.07.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से दिनांक 22.08.2010 तक कारपोरेट मुख्यालय में अवश्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु वांछित सूचना काफी समय व्यतीत होने पर भी आपके स्तर से प्राप्त होनी प्रतीक्षित है।

इस सम्बन्ध में आप का ध्यान पुनः आकृष्ट करते हुए स्मरण कराना है कि पूर्ववर्ती उ०प्र०रा०वि०प०/उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम-24 उपनियम-1, 2, 3 एवं 4 के सन्दर्भ में समय-समय पर निर्गत आदेशों/परिपत्रों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण नियंत्रक अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी अनुदेश दिये गये हैं जिसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के समय अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से नियोक्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्मिकों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति की घोषणा की जानी आवश्यक है जिससे आवेदकों द्वारा इस सम्बन्ध में सूचनाएं मांगे जाने पर उन्हें ससमय उपलब्ध करायी जा सकें।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया अपना एवं अपने नियन्त्रणाधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चल/अचल सम्पत्ति विवरण विलम्बत 30.09.2010 तक इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में चल/अचल सम्पत्ति विवरण उपलब्ध न कराने वाले कार्मिकों के साथ ही सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।

1
(एस०के० शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)

क्रमशः पेज.....2/-

